बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019

1. सामान्य

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) के संबंध पशुचिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्नातक–स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम कहलायेंगे, जो **राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा** (नीट) की मेरीट या विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा माध्यम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। ये प्रवेश नियम बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक वर्ष 2019–2020 से लागू होगा एवं आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु निरन्तर प्रभावशील होगा जब तक इस संबंध में विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं राज्य शासन से कोई निर्देश प्राप्त न हो।

2. स्नातक पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं महाविद्यालय का नाम :

बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच, **अवधि–5 वर्ष 6 माह (साढ़े पांच वर्ष)** (इंटर्नशिप सहित), महाविद्यालय का नाम–पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) या आगामी समय के विश्वविद्यालय, पशुचिकित्सा संकाय के अंतर्गत कोई पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होगा, पर भी यह नियम लागू होगा।

3. स्नातक पाठ्यकम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है:

1. भारत का नागरिक हो।
2. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
3. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा में निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो :– भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय।

4. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का बिन्दु क्रं. 3.3 के अनुसार अर्हकारी परीक्षा (10+2) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी ने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो उसे प्रवेश हेतु योग्य नहीं माना जायेगा भले ही उसने **NEET** की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त कर लिया हो। इस पाठ्यक्रम में **NEET** या प्रवेशित वर्ष की प्रवेश परीक्षा द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

5. न्यूनतम अंक सीमा

बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच पाठ्यकम में प्रवेश के लिये सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिये यह जरूरी है कि उसने 10+2 की 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में से प्रत्येक विषय को पास कर रखा

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

हो और इन विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के छात्रों को 10+2 की 12वीं कक्षा में उपरोक्त प्राप्तांक 47.5 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

6. उपलब्ध सीटों का विवरण

महाविद्यालय का नाम	खुली स्पर्धा (ओ.सी.) अनारक्षित सामान्य (26)					अनु.जनजाति (एस.टी.) (20)						अनु.जाति (एस.सी.) (08)		अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी) (कीमीलेयर कोछोडकर) (09)		जे. एण्ड के. माइ ग्रेन्ट	योग							महा योग
	X	F	FF	S	D	X	F	K	FF	S	D	X	F	X	F	J& K	X	F	K	FF	S	D	J & K	
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	15	08	1	1	1	10	6	1	1	1	1	6	2	6	3	1	37	19	1	2	2	2	1	**64**
व्ही.सी.आई. कोटा 12																								
विभागीय कोटा (राज्य शासन, पशुधन विकास विभाग): 04																								

पशुचिकित्सा संकाय में स्नातक स्तर पर सीटों का निर्धारण करने का अधिकार कार्य परिषद से अनुमोदन पश्चात विश्वविद्यालय का होगा एवं राज्य स्तर के सीटों पर आरक्षण राज्य शासन के समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार बंधनकारी होगा।

7. सीटों का आरक्षण

महाविद्यालय में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा।

7.1 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) छत्तीसगढ़ राज्य के (वास्तविक निवासी) के पुत्रों/पुत्रियों के लिए कमशः **32, 12** एवं **14** प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण उपलब्ध होगा।

7.1 (क) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग में होने वाले संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय–समय पर छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशो में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर अथवा उसके शाखा अम्बिकापुर/जगदलपुर से आवश्यकता पड़ने पर कराया जाना अनिवार्य होगा।) समय–समय पर जाति प्रमाण पत्र हेतु राज्य शासन द्वारा जारी नियम मान्य होगा।

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

7.2 कृषक :

सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ में स्थाई कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण लागू होगा, लेकिन अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है लेकिन किन्ही कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तथापि उसकी मेरिट जिस वर्ग/सवर्ग में का वह अभ्यर्थी है उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होनें पर प्रवेश लेनें की पात्रता होगी।

अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या (तालिका–1 में सीटों का विवरण) देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने, विशेष कर कृषक वर्ग । कृषक वर्ग है, व्यवसाय नहीं है यह ध्यान रखें।

टिप्पणी :

(क) इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा, जिन्होंने प्राथमिक (कक्षा पांचवी), माध्यमिक (कक्षा आठवीं), मैट्रिक/हाई स्कूल (कक्षा दसवीं) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवी) में से कोई दो परीक्षायें ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हों। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।

(ख) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र **(प्रारूप 3)** मान्य होगा।

7.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। जिसके लिए छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है।

इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हों, तो उन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी से **प्रारूप–5** में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.4 प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक)

सभी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक) के पुत्र/पुत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। जिसके लिए छत्तीसगढ़ के

(डॉ. नीतू गोरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं । प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से **प्रारूप–6 (ए एवं बी)** में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.5 महिला

सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

7.6 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, के पुत्र/पुत्रियों के लिए स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में **एक सीट** आरक्षित है। इस वर्ग के प्रत्याशियों का प्रवेश **NEET** या विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं राज्य शासन के जारी निर्देश के आधार पर आयोजित प्रवेश परीक्षा की मैरिट सूची से किया जावेगा। इस वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित **प्रारूप–4** में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इस वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू–कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिये की गई हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू–कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो को भी प्रवेश की पात्रता होगी।

7.7 निःशक्तता

सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 3 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। दिव्यांग प्रत्याशियों को विधिवत रूप से गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. संचालनालय, पशुधन विकास विभाग के विभागीय उम्मीदवारों को प्रवेश

छत्तीसगढ़ के संचालनालय पशुधन विकास विभाग के कर्मचारियों को भी तालिका 1 में दर्शाये अनुसार सीटों पर प्रवेश वर्ष के NEET की प्रवीण्य सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि वे प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता (नियम 5 एवं 16) पूर्ण करते हैं।

9. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश

बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में वर्तमान अधिकतम प्रवेश क्षमता के अनुसार 15 प्रतिशत सीटों (तालिका 1) में प्रवेश भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा काउंसिलिंग एवं सीटों के आवंटन उपरांत किया जावेगा। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के लिये उपरोक्त आरक्षित कोटे की सीट रिक्त होने की स्थिति पर नीट की मेरिट से छ.ग. राज्य के छात्र–छात्राओं से भरे जावेंगे।

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

10. आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दाशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा। ये नियम सीटो की संख्या निर्धारण में ही लागू होगा तथा न्यूनतम अंकसीमा प्रतिशत में लागू नहीं होंगें ।

11. आवेदक को उसकी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

12. **काउंसिलिंगः**— काउंसिलिंग की सूचना समाचार पत्रों एवं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग की वेबसाइट www.cgkv.ac.in पर दी जावेगी। कौंसलिंग निम्न क्रम से की जावेगी।

(क) खुली स्पर्धा (ओ.सी.अनारक्षित/सामान्य श्रेणी
(ख) अनुसूचित जनजाति
(ग) अनुसूचित जाति
(ध) अन्य पिछडा वर्ग

13. **रिक्त सीटों का प्रवेश**

आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगाः—

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

14. उम्मीदवार द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

15. **शारीरिक योग्यता स्वास्थ्य अर्हताः**

किसी उम्मीदवार को जिनमें भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा 15 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रविष्ट किये गये उम्मीदवार भी शामिल हैं, बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. डिग्री पाठयक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी (निःशक्तता कोटे के सीट को छोडकर) यदि वह शारीरिक स्वास्थता के मामले में निम्नलिखित निःशक्तताओं से ग्रस्त हो।

(क) समूची देह की निःशक्तता, जिसमें वक्ष/रीढ की 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता शामिल हो
(ख) पैरों में 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता;
(ग) हाथों में निःशक्तता;

(डॉ. नीलू गौड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

(घ) नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है;
(ड) प्रगामी रोगों जैसे वंशी विकृति, इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार।
(च) ऐसी विकलागंताएं जिनसे पशु चिकित्सक के कर्त्तव्य के निवर्हन में बाधा आती हो।

विकलागंता को विधिवत् गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम–से–कम तीन विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिनमें से दो संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए; उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलागंता प्रमाणपत्र, विकलांग उम्मीदवार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम–से– कम तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

सभी चयनित प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज्य स्तर के अधिकारी का मान्य होगा।

16. आयु सीमा

(क) प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि **प्रथम वर्ष में प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर को प्रवेशार्थी उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के मामले में अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।**

(ख) विभागीय उम्मीदवार को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर कम से कम 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होना चाहिए। इस संबंध में नियंत्रणकर्ता अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) विभागीय उम्मीदवारों की **आयु 35 वर्ष से अधिक न हो** (आयु की गणना प्रवेश वर्ष के पूर्व वर्ष की 31 दिसम्बर की स्थिति में की जायेगी)।

17. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :–

प्रवेश के लिये प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। प्रवेश वर्ष के **NEET** के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी।

17.1 आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा, परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों में हॉरीजोन्टल आरक्षण के अंतर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।

17.2 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के निल पुरूषों से की जायेगी।

(डॉ. नीतू गोर्डिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

18. प्रवेश वर्ष में NEET के परिणाम में समान कुलांक पाने वाले परिक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु प्रवेश वर्ष में **NEET** प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगीः–

1. **प्राणी विज्ञान**
2. **वनस्पति विज्ञान**
3. **रसायन**
4. **भौतिक**

चारों विषयों में समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में, प्राथमिकता, अधिक उम्र वाले अभ्यार्थी को दी जायेगी। यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होगी तब 12वीं के कुल प्राप्तांकों को आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण**

महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि प्रवेश वर्श की 30 सितम्बर तक ही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

20. **प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण**

प्रवेशित वर्ष के लिये **NEET** मेरिट सूची के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर कौसिलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जावेगा। प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता/शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र संस्था में प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे

{प्रवेश वर्ष में **NEET** द्वारा जारी अंकसूची, 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, छ.ग. के मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण–पत्र}। अन्य प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं।

21. **मूल निवासी की शर्तें**

1. जो भारत का नागरिक हो
2. (क) जिसने प्रवेशित वर्ष तक पांच वर्षों के अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो **(प्रमाण पत्र प्रारूप –7)**

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो। **(प्रमाण पत्र प्रारूप –7)**

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

(1) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी **(प्रमाण पत्र प्रारूप –7)**

अथवा

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन) तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो **(प्रमाण पत्र प्रारूप–7)**

स्पष्टीकरण– 1 (छत्तीसगढ़ का मूल निवासी)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणीः छत्तीसगढ़ का मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण– 2 (अभिभावक)

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंड़ाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण– 3 (दत्तक पुत्र/पुत्री)

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्ही अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने गोद

(डॉ. नीतू हरमुखड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

लिया हो अनुसूचित जनजाति एव अनुसूचित जाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

22. **प्रवेश निरस्तीकरण**

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी विषयक प्रश्नों के निपटारे हेतु छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा।

प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उसके निराकरण का अधिकार छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा । प्रवेश नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा।

नोट : रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है तथा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) के अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों में रैगिंग पूर्णतः निषेध है।

कुलसचिव
छ.ग. कामधेनु वि.वि., दुर्ग

(डॉ. नीतू गौरहिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

परिशिष्ट –1

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप –1

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..छत्तीसगढ पुस्तक कमांक...............

प्रमाण पत्र कमांक... प्रकरण कमांक...

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री.. पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम / नगर .... पटवारी हल्का नं........................वि.खं..तहसील................................ जिला...................................संभाग...........................जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ राज्य के संध में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.................................. ....जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छत्तीसगढ की सूची में अनुक्रमांक..पर अंकित है अतः श्री /सुश्री .... पिता/पति का नाम.. अनुसूचित जाति/ जनजाति का / की है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..है ।

दिनांकः–..

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगें । (अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहद् / मध्यम/ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

परिशिष्ट –2

प्रारूप –2

छत्तीसगढ की अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) प्रवर्ग

के अभ्यर्थियो द्वारा प्रस्तुत किया जानें वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ पुस्तक कमांक.....

प्रमाण पत्र कमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण –पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... .....आत्मज श्री .....निवासी ग्राम .....जिला संभाग..... छत्तीसगढ के निवासी है, जो .....जाति के है, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसबंर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.....और /या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ के जिला ....संभाग .....में निवास करता है व छत्तीसगढ के राज्य में दिनांक..... .....को प्रवजन कर चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....कीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र कमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8–9–03 द्वारा जारी सूची में कालम–3 में तथा छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 19994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....है ।

दिनांकः–.....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय

प्रारूप –3

कार्यरत किसान प्रमाण पत्र

संदर्भ कमांक.............................. दिनांकः................................

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम........... ....के माता – पिता/ श्री/श्रीमती ....वास्तविक कार्यरत स्थाई किसान है उनके पास .... हेक्टेयर भूमि..............................गांव...तहसील.................................. जिला.................. राज्य छत्तीसगढ मे है ।

ये कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है ।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

श्री/श्रीमती/कुमारी ....नें 5वीं,8वीं,10वीं, एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/ अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षाए ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की है :–

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 5वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मैट्रिक हाईस्कूल)
4. 12 वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान :..

दिनांकः..

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

हस्ताक्षर एवं सील

(डॉ. नीतू गोरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

परिशिष्ट –4

प्रारूप –4

जम्मू एवं कश्मीर के विस्थपित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ कमांक.............................. **दिनांकः................................**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.......... ....(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री / सुश्री.. ....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित है ।

स्थान...

दिनांकः..

(हस्ताक्षर एवं सील)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

परिशिष्ट –5

प्रारूप –5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ कमांक..... दिनांकः.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... .....

(अभ्यर्थी का नाम) श्री / सुश्री.....

.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के / की वैध संतान है । जो श्री / सुश्री .....

.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ के जिला .....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में कमांक .....पर पंजीकृत है ।

स्थान.....

दिनांकः.....

(हस्ताक्षर एवं सील)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी
पदनाम एवं सील

(डॉ. नीतू गौखड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रारूप –6 (ए)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतूपर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ कमांक..... दिनांकः.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती (माता पिता का नाम) ....

.....जो **NEET** द्वारा संचालित .....

परीक्षा के आधार पर बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यकम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री /कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) .....

के पिता/माता है ,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के /की एक भूतपूर्व सैनिक है । सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ..... पद पर थे/थी और उनका सर्विस कमांक .....था ।

(ब) उन्होनें थलसेना /वायुसेना/नौसेना मे ..... पद पर सिर्वस कमांक ..... के अधीन सेवा की है । सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है / सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है ।

स्थान.....

दिनांकः.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय सील

(डॉ. नीतू गौरैड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रारूप –6 (बी)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ कमांक.............................. **दिनांकः..............................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती .... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काटदे) है वह थल सेना /वायुसेना/नौसेना में .... ओहदे पर सर्विस कमांक.. के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा.................... .... इकाई में पदस्थ है। वे इस इकाई में दिनांक .... से सेवारत है ।

स्थान..

दिनांकः..

(हस्ताक्षर एवं सील)
कमांडिंग ऑफिसर

(डॉ. नीतू गौरडिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रारूप –7

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

कमांक..... दिनांकः.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... .....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी.....

तहसील ..... व जिला .....छत्तीसगढ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह –

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :–

1. वह छत्तीसगढ में पैदा हुआ है / हुई है ।

2. (क) वह

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से कोइ जीवित नहो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ म निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालको में से कोई भी :–

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसनें अपनी शिक्षा छत्तीसगढ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

6. उसनें छत्तीसगढ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात –

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवी कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवी कक्षा की परीक्षा।.

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ के स्थानीय निवासी होंगें :–

(क) छत्तीसगढ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ राज्य शासन के अधिकारियों /कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ग) छत्तीसगढ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ध) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी / कर्मचारी उनकी पत्नी/पति अथवा संतान

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ के स्थानीय निवासी होगें ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

....

पदनाम एवं सील

(डॉ. नीतू गौरड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रारूप–8

न्यायालय तहसीलदार ..... जिला..... (छत्तीसगढ)

// आय प्रमाण पत्र //

पूर्ण जानकारी के अनुसार यह प्रमाणित करत हूं कि

1. श्री/श्रीमती/कु..... पुत्र /पुत्री पत्नी .....
..... का स्थायी निवासी.....
तहसील ..... जिला ..... छत्तीसगढ का है ।
2. श्री/श्रीमती/कु ..... का है और उसकी
उपजाति .....उसका धर्म..... है ।
3. छात्र / छात्रा के पिता/माता/अभिभवक श्री .....
आत्मज श्री ..... छात्र/छात्रा की
अगर आय हो तो सम्मिलित करते हुये । समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय .....
शब्दों में.....रूपये है ।

सीना :.....

दिनांक :–.....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. पिता/माता/पति जीवित न रहने पर अभिभावक की आमदनी दर्शायी जाये ।
2. यह प्रमाण–पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण–पत्र जारी करनें वाले सक्षम अधिकारी को सलाह दी जाती है कि यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण–पत्र जारी करे ।

(डॉ. नीरू गौड़िया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

कुलसचिव
इ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दु. (छ.ग.)